



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023
श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 415/79-वि-1-2023-1-क-14-2023
लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-5 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कालेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज द्वारा संचालित एवं प्रबन्धकृत विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन और उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित एवं आयोजित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

2-(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों सेवा नियमावलियों/विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में नियुक्ति करने हेतु सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य क्रमशः माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(ङ) "आयोग" का तात्पर्य धारा-3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है;

(च) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, उच्च शिक्षा या निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या निदेशक, बेसिक शिक्षा या निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण या निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय से है और इसमें संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा सम्मिलित हैं;

(छ) "संस्था" का तात्पर्य निम्नलिखित किसी संस्था से है:—

(एक) कोई सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय, जिन्हें सम्बद्धता का विशेषाधिकार, क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो;

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या हाईस्कूल तथा इनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(तीन) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कालेज या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या अल्पसंख्यक हाईस्कूल तथा इनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(चार) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत कोई विद्यालय;

(पाँच) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(छः) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा शासित कोई सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(सात) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान;

(आठ) अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय।

(न) "अनुदेशक" का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है;

(झ) किसी संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धतन्त्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति से या उस संस्था के कार्यों का प्रबन्ध तथा संचालन करने की शक्तियों से युक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से है;

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;

(ट) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ड) "नियमावली" का तात्पर्य धारा 28 के अधीन बनायी गयी नियमावली से है;

(ढ) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था में अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है तथा जिसमें कोई प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक सम्मिलित हैं;

(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की एक जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921), उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम, नियमावली तथा परिनियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

आयोग की स्थापना और उसके कृत्य

3-(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना के माध्यम से नियत किये जाने वाले दिनांक से "उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग" नामक एक आयोग स्थापित किया जायेगा।

आयोग की
स्थापना

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा। वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा।

4-(1) आयोग में एक अध्यक्ष और बारह सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

आयोग की
संरचना

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होगा, यदि वह,-

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो; या

(ख) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो; या

(ग) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो;

(3) सदस्यों में से,-

(क) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य हो या रहा हो और जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो;

(ख) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ग) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपर निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(घ) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ङ) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, बेसिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(च) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश स्तर) से संबंधित रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(छ) छह सदस्य ऐसे शिक्षाविद होंगे, जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों, और जिन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन अध्यक्ष नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा, इनमें से जो भी पहले हो।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन सदस्य नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा, जो भी पहले हो।

(2) कोई व्यक्ति दो पदावधियों से अधिक के लिए अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित रूप में स्वहस्ताक्षर से अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा/रहेगी जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों का पद, पूर्णकालिक होगा और अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे।

अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह,—

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्याय—निर्णीत किया गया हो; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी संदत्त सेवायोजन में अभिनियोजित हो; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्धकदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो।

स्पष्टीकरण :—(1) जहाँ अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी रूप में सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसकी प्रसुविधाओं में या उससे उद्भूत होने वाली किसी प्रसुविधा या परिलब्धि में सदस्य से भिन्न अन्यथा रूप में सहभागी हो वहाँ उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार का अन्वेषण करने और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

सहयुक्त करने की शक्ति

7—आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह, वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

आयोग का कर्मचारी वर्ग

8—(1) आयोग का सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उपसचिव राज्य सरकार द्वारा अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जायेंगे और उनकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाने वाले निदेशों के अध्यक्षीन, आयोग, ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे निबन्धन और सेवा शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, पर नियुक्त कर सकता है।

9-आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्-

आयोग की
शक्तियां और
कर्तव्य

(क) अध्यापकों या अनुदेशकों की सीधी भर्ती की रीति से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) अध्यापकों या अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, परीक्षा संचालित करना और साक्षात्कार आयोजित करना तथा अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित और संचालित करना;

(घ) खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों का चयन करना तथा उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(ङ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(च) अध्यापकों या अनुदेशकों की सदस्य संख्या और अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किये जाने के लिए रिक्तियों के सम्बन्ध में संस्थाओं से नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं शासन के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों की परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) आयोग के निस्तारणार्थ रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि विहित किया जाय, या जो इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन अपने कृत्यों का निस्तारण करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों;

(ञ) चयन/नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर बनायी गयी नीति/प्रक्रिया के उपबन्धों का अनुसरण करना।

10-(1) सीधी भर्ती द्वारा अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतंत्र या प्राधिकृत अधिकारी विद्यमान या भर्ती वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी पद की स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, जैसा कि विहित किया जाय, के माध्यम से आयोग को अधिसूचित करेगा। आयोग पात्रता का विनिश्चय करेगा और तदनुसार यथा विहित रीति से प्राप्त रिक्तियों को विज्ञापित करेगा।

रिक्तियों का
अवधारण,
अधियाचन एवं
चयन प्रक्रिया

(2) अध्यापकों या अनुदेशकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में नियुक्ति के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उस धर्म एवं भाषा विशेष के शिक्षाविदों (धर्मशास्त्र एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वाले) को अनिवार्य रूप से चयन की प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करते हुए चयन की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी।

अभ्यर्थियों का
पैनल/सूची

11-(1) आयोग, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति अधिसूचित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षा आयोजित करेगा अथवा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा अथवा परीक्षा आयोजित करेगा और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पायें जायें उनका पैनल/सूची तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, अग्रसारित किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों के नाम, विहित रीति से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा और विहित रीति से चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण में सुगमता प्रदान करेगा।

(5) जहाँ ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, ऐसी संस्था में किसी अध्यापक या अनुदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या जहाँ ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, वहाँ प्राधिकृत अधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल/सूची से नया नाम या नये नाम, विहित रीति से सूचित करेगा। ऐसी समय सीमा नियुक्ति-पत्र जारी किये जाने के दिनांक के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी।

(6) यदि प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी किसी चयनित अभ्यर्थी को युक्तियुक्त कारणों (प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी को यथोचित कारण उल्लिखित करना है) से नियुक्ति-पत्र जारी करने में विफल हो जाता है तो उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थियों की सूची/पैनल से शेष अभ्यर्थियों का एक पैनल संस्थान को केवल एक बार उपलब्ध कराया जायेगा। फिर भी यदि प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति-पत्र जारी करने में विफल रहता है तो संबंधित पद को विहित पद्धति के अनुसार समाप्त कर दिया जायेगा।

अध्याय तीन

चयनित अध्यापकों/अनुदेशकों की नियुक्ति

आयोग की
संस्तुतियों पर ही
नियुक्ति किया
जाना

12-अध्यापक या अनुदेशक की प्रत्येक नियुक्ति, आयोग की संस्तुति पर ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी कोई नियुक्ति शून्य हो जायेगी:

परंतु यह कि किसी अध्यापक या अनुदेशक की एक संस्था से दूसरी में स्थानांतरण द्वारा अथवा किसी संस्था में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अथवा सेवाकाल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित के रूप में किसी अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति सुसंगत अधिनियमों या नियमावलियों या विनियमावलियों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार की जा सकती है।

निदेशक द्वारा
जाँच

13-(1) जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार हो, किन्तु तद् निमित्त उपबन्धित समय के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, वहाँ वह निदेशक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस धारा की उपधारा (2) के अधीन निदेश के लिए अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से यथा सम्भव एक माह के भीतर, निदेशक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जाँच आयोजित कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदक को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त करने में विफल हो गया हो तो वह आदेश द्वारा:-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में आवेदक को तत्काल नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने का निदेश दे सकता है; और

(ख) सम्बन्धित संस्था के प्रधान को आवेदक से अध्यापक या अनुदेशक के रूप में कार्य लेने का निदेश दे सकता है।

(3) ऐसे अध्यापक या अनुदेशक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर कलेक्टर द्वारा संस्था को चलाने वाली सोसायटी या निकाय की, या उसमें निहित सम्पत्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है।

14-यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन या सेवाकाल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति या मा० उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा पद समाप्ति अथवा अन्य किसी कारण (विनिर्दिष्ट कारण का उल्लेख सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जाएगा), से धारा 11 के उपबन्धों के अधीन प्रेषित पैनल/सूची में आयोग द्वारा संस्तुत कोई चयनित अभ्यर्थी, अनुज्ञात संस्था में कार्यभार ग्रहण करने में विफल हो, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) ऐसे चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपना अभ्यावेदन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;

(ख) निदेशक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत जाँच करने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और चयनित अभ्यर्थी के समायोजन हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा;

(ग) निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आयोग अविज्ञापित अधियाचन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा और समायोजन के पश्चात् चयनित पैनल/सूची विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा या उपलब्ध कराएगा;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल/सूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी, धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करेगा।

15-आयोग धारा 9 में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, और प्राधिकृत अधिकारी तदनुसार उसका अनुपालन करेगा।

16-अध्यापक या अनुदेशक की सेवा शर्तों का विनिश्चय, यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों/सेवा नियमावलियों/विनियमावलियों/विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।

अध्याय-चार

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

17-(1) आयोग का वित्तीय प्रबन्ध, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1, 2, 3 और 5 में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा:

परन्तु यह कि आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामलों में विशेष विनियमावली बना सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) आयोग का व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से और फीस आदि स्वरूप प्राप्तियों से उपधारा (1) में उल्लिखित नियमों और राज्य सरकार के नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार उपगत किया जायेगा। कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों या राज्य सरकार के आदेशों, यदि कोई हों, का उल्लंघन करके कोई व्यय उपगत करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(3) आय-व्ययक का प्राक्कलन, सचिव के पर्यवेक्षणानुसार और निदेशानुसार वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा और व्ययक को, आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् बजट के उपबन्धों के अनुसार उपगत किया जायेगा।

(4) अध्यक्ष स्वयं के, सदस्यों, सचिव, उप सचिव और वित्त नियंत्रक के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होगा और आयोग द्वारा अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाने वाली अन्य समस्त वित्तीय शक्तियों के अतिरिक्त ऐसी समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विभागाध्यक्ष में साधारणतया निहित हों।

आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार न ग्रहण करने पर समायोजन की रीति

सूचना मंगाने और अभिलेख एवं रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति अध्यापकों या अनुदेशकों की सेवा शर्तें

आयोग का वित्तीय प्रबन्ध

(5) (एक) सचिव, आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा किन्तु यदि वह आवश्यक समझे तो लिखित आदेश द्वारा ऐसी समस्त या कोई शक्तियां उप सचिव को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(दो) सचिव किसी कार्यालयाध्यक्ष में निहित समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग ऐसी अन्य वित्तीय शक्तियां सचिव को प्रतिनिधानित कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

वार्षिक रिपोर्ट

18-आयोग, प्रतिवर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उसके पूर्ववर्ती वर्ष के कार्यकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां, राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार द्वारा उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

19-(1) आयोग अपने लेखा के सम्बन्ध में ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखवायेगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(2) आयोग अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे महालेखाकार को नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम-1971 (अधिनियम संख्या 56 सन् 1971) की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये ऐसे दिनांक, जैसा कि राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे, तक अग्रसारित करेगा।

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और उसके साथ-साथ उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय-पाँच

प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किये जाने के लिए दण्ड

20-नियुक्ति प्राधिकारी, प्रबन्धतंत्र तथा संस्था से तात्पर्यित कोई इकाई, जो आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन करने में विफल हो या धारा-13 के अधीन निदेशक के आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल हो या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक की नियुक्ति करे, विधिक कार्यवाही के लिये दायी होगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

21-इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अभियोजन का वर्जन

22-इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, निदेशक या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य व विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

कतिपय कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

23-आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि-

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तत्त्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विनिश्चयों का अधिप्रमाणिकरण प्रत्यायोजन

24-आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, धारा 8 के अधीन नियुक्त सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

25-आयोग धारा 28 के अधीन बनायी गयी विनियमावली द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अधीक्षण और उनके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसमें कार्यालय अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन हेतु उपगत व्यय से सम्बन्धित शक्ति सम्मिलित है, प्रत्यायोजित कर सकता है।

26—आयोग को व्यावहारिक रूप से क्रियाशील करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारि-वर्ग आयोग को अन्तरित किये जायेंगे। समय के प्रक्रम में, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त किये जाने के पश्चात् उनके समक्ष लम्बित कोई मामला, उनकी आस्तियां, ऋण, देनदारियां, बाध्यतायें एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवायें आयोग को अन्तरित हो जायेंगी।

आस्तियों एवं मामलों का अन्तरण

27—(1) राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियमों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र कुल चौदह दिनों की अवधि का हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो, रखा जायेगा और जब तक कि कोई पश्चात्पूर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से ऐसे उपान्तरणों अथवा बातिलकरण के अध्यधीन प्रभावी होंगे, जो विधानमण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, तथापि इस प्रकार का कोई उपान्तरण अथवा बातिलकरण तद्धीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

28—(1) आयोग, परीक्षाएं आयोजित करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने के लिए शुल्क विहित करते हुए और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमावली बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

29—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ किसी अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

30—अध्यापकों या अनुदेशकों के चयन के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 में अन्तर्विष्ट नियमों, विनियमों या परिनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अध्यादेश के अभिभावी प्रभाव

31-(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन से, उपबंध प्रवर्तन से संबंधित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्य एवं कारण

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यापकों के चयन के लिए विभिन्न आयोग हैं: (एक)राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग; (दो)अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों के अध्यापकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड; (तीन) सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु सम्बन्धित प्रबन्ध समिति; (चार) परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद; (पाँच) व्यावसायिक शिक्षा विभाग में अनुदेशकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

उपरोल्लिखित आयोगों/संस्थाओं द्वारा चयन संबंधी दक्षता के स्तर में भिन्नता के कारण अध्यापकों के चयन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, चयन की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है, अध्यापकों का समय से चयन नहीं हो पा रहा है, और विभिन्न संस्थानों में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं। इससे राज्य में छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा/प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, संस्था-स्तरीय चयन समितियों द्वारा संचालित चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव भी परिलक्षित है जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त आयोगों/संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को एक आयोग के अधीन लाने और राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपबंध करने हेतु उपरोल्लिखित त्रुटियों को दूर करके तथा अर्हित अध्यापकों तथा अनुदेशकों के चयन द्वारा अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता लाने हेतु 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' की स्थापना के लिए विधि बनाने का विनिश्चय किया गया।

तदनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 415(2)/LXXIX-V-1-2023-1-ka-14-2023

Dated Lucknow, August 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shiksha Sewa Chayan Aayog Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 2023. The Uchha Shiksha Anubhag-5 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH EDUCATION SERVICE SELECTION COMMISSION
ACT, 2023

(U.P. ACT No. 15 of 2023)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

To provide for the establishment of Uttar Pradesh Education Service Selection Commission for selection of teachers of non-government aided colleges, aided minority colleges affiliated and associated with a University governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or non-government aided intermediate colleges, higher secondary schools, high schools or attached primary schools governed by the Intermediate Education Act, 1921 or non-government aided minority intermediate colleges or minority higher secondary schools or minority high schools or attached minority primary schools covered under Intermediate Education Act, 1921 or the schools run and managed by Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj and non-government aided junior high schools and attached primary schools and non-government aided minority junior high schools and attached primary schools of the Uttar Pradesh Basic Education Board governed under the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 or teachers in institutions run by the Atal Residential School Committee or for selection of instructors in certificate-level State Industrial Training Institutes under the Uttar Pradesh Government Industrial Training Institutes (Instructors and Foreman Instructors) Service Rules, 2021 and to conduct and organize Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test, and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023.

Short title.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions

(a) "Appointing Authority" means the authority empowered to make appointment in the relevant Acts/Service rules/University Statutes, as the case may be ;

(b) "Authorized Officer" means the Director or any other person authorized by the State Government for this purpose ;

(c) "Board" means the Uttar Pradesh Board of Secondary Education, Prayagraj, or the Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj, or the State Council for Vocational Training, Uttar Pradesh, Lucknow, for secondary education, basic education and industrial training, respectively;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission and includes any other person performing, in the absence of the Chairperson for the time being, the functions of the Chairperson;

(e) **“Commission”** means the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission established under section 3;

(f) **“Director”** means the Director of Higher Education, or Director of Secondary Education, or Director of Basic Education, or Director of Minority Welfare, or Director of Training and Employment, and Director General of Atal Residential School, and it includes Joint Director of Higher Education and Joint Director of Secondary Education, Basic Education;

(g) **“Institution”** means any of the following institutions:-

(i) an affiliated or associated non-government aided college, aided minority college to which the privilege of affiliation has been granted by a University governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (U.P. Act no. 10 of 1973), respectively.

(ii) a non-government aided Intermediate College or a Higher Secondary School or a High School and attached primary school recognized under the Intermediate Education Act, 1921 (U.P. Act no. 2 of 1921);

(iii) a non-government aided minority intermediate college or minority higher secondary school or minority high school and attached primary school recognized under the Intermediate Education Act, 1921;

(iv) a school run and managed by the Uttar Pradesh Basic Education Board;

(v) non-government aided junior high schools and attached primary schools recognized by Uttar Pradesh Basic Education Board;

(vi) an aided minority junior high school and attached primary school governed by the Uttar Pradesh Basic Education Board;

(vii) Certificate-level Government Industrial Training Institutes operated under the Department of Vocational Education and Skill Development;

(viii) Atal Residential Schools run by the Atal Residential School Committee.

(h) **“Instructor”** means a person employed for imparting training in certificate-level Government Industrial Training Institutes under the Department of Vocational Education and Skill Development;

(i) **“Management”** in relation to an institution means the management committee or person or authority vested with the power to manage and conduct the affairs of that institution;

(j) **“Member”** means a member of the Commission;

(k) **“Other Backward Classes of Citizens”** means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994);

(l) **“Prescribed”** means prescribed by rules made under this Act;

(m) **“Regulation”** means any regulation made under section 28;

(n) **“Teacher”** means a person employed for imparting instruction in an institution and includes a Principal or Vice-Principal or a Headmaster;

(o) **“Year of recruitment”** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (U.P. Act no. 10 of 1973), Intermediate Education Act, 1921 (U.P. Act no. 2 of 1921), Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U.P. Act no. 34 of 1972), Uttar Pradesh Government Industrial Training Institutes (Instructors and Foreman Instructors) Service Rules, 2021, shall have the same meanings as respectively assigned to them in the said Acts, Rules and Statute.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION

3. (1) With effect from such date as the State Government may by notification appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be called the "Uttar Pradesh Education Service Selection Commission." Establishment
of the
Commission

(2) The Commission shall be a body corporate. It shall exercise powers throughout the State of Uttar Pradesh and its headquarter shall be at Prayagraj.

4. (1) The Commission shall consist of a Chairperson and twelve members who shall be appointed by the State Government. Composition
of the
Commission

(2) A person shall be qualified for appointment as Chairperson if he/she,—

(a) is or has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of Principal Secretary or equivalent thereto in the State Government; or

(b) is or has been a Vice-Chancellor of any University established by law; or

(c) is or has been a Professor of any University established by law for at least ten years and has at least three years of administrative experience.

(3) Of the members,—

(a) one shall be a person who is or has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of Secretary or any other equivalent post under the State Government;

(b) one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Higher Education, whose services have been of an excellent order;

(c) one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Additional Director, Vocational Education, whose services have been of an excellent category;

(d) one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Secondary Education, whose services have been of an excellent category;

(e) one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Basic Education, whose services have been of an excellent category;

(f) one shall be a person who has been a member of the Judicial service (District Judge level) with distinguished service;

(g) Six shall be educationists whose services have been outstanding and who, in the opinion of the State Government, have made significant contributions to the field of education.

(4) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.

5. (1) Subject to the provisions of this Act, the Chairperson shall hold office for a term of three years from the date of appointment and shall not hold office as such after attaining the age of sixty-five years, whichever is earlier. Subject to the provisions of this Act, the Member shall hold office for a term of three years from the date of appointment and shall not hold office as such after attaining the age of sixty-five years, whichever is earlier. Term of Office
and Conditions
of Service
of Chairperson
and Members

(2) No person shall be a Chairperson or member for more than two terms.

(3) A Chairperson or member may resign from his/her office by writing under his/her hand addressed to the State Government, but he/she shall continue in office until his/her resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the Chairperson and members shall be full-time, and the terms and conditions of their service shall be such as the State Government may, by order, direct.

Power of State Government to remove the Chairperson and Members

6. (1) The State Government may, by order, remove from office the Chairperson or any member, if he,-

(a) is adjudged insolvent by a Court; or

(b) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct; or

(d) is liable to any disqualification under this Act or the rules made thereunder.

Explanation : Where a Chairperson or member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any institution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than as a member, he shall, for the purpose of clause (c), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

Power to Associate

7. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purpose, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

Staff of the Commission

8. (1) The Secretary, the Controller of Examinations, the Controller of Finance, and the Deputy Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government on deputation for a term not exceeding three years, and other conditions of his service shall be such as the State Government may, by order, determine.

(2) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may deem necessary for the efficient performance of its functions under this Act and on such terms and conditions of service as it deems fit.

Powers and Duties of the Commission

9. The Commission shall have the following powers and duties, namely:-

(a) to prepare guidelines on matters relating to the method of direct recruitment of teachers or instructors;

(b) to conduct examinations, where necessary, and hold interviews and select candidates for appointment as teachers or instructors;

(c) to conduct and organize the Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test;

(d) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes of clause (b);

(e) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates;

(f) to obtain periodical returns or other information from institutions regarding the strength of the teachers or instructors and the vacancies for the appointment of teachers or instructors from Authorized Officer through State Government;

(g) to fix the emoluments, and travelling and other allowances of the experts;

(h) to administer the funds placed at the disposal of the Commission;

(i) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder;

(j) to follow the provisions of the policy/procedure made from time to time by the Department of Personnel, Uttar Pradesh regarding selection/appointment.

10. (1) For the purpose of making an appointment of a teacher or instructor by direct recruitment, the Appointing Authority or Management or Authorized Officer shall determine the number of vacancies existing or likely to fall vacant during the year of recruitment and, in the case of a post other than the post of head of the institution, also determine the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), and persons belonging to economically weaker sections in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 (U.P. Act no. 10 of 2020) and other directions issued by the Government from time to time, and notify the vacancies to the Commission in such manner and through such officer or authority as may be prescribed. The Commission shall decide the eligibility and accordingly advertise the vacancies received in the manner as may be prescribed.

Determination
of Vacancies,
Requisition, and
Selection
Procedure

(2) The procedure of selection of candidates for direct recruitment to the posts of teachers or instructors shall be such as may be prescribed.

(3) Regarding appointment in religious and linguistic minority educational institutions for maintaining quality of education, process of selection shall be completed by compulsorily inviting educationist of that particular religion and language (having knowledge of theology and culture) as experts.

11. (1) The Commission shall, as soon as may be, after a vacancy is notified under sub-section (1) of section 10, conduct, wherever necessary, examinations or interviews or conduct the examination and interview of the candidates and prepare a panel/list of those found most suitable for appointment.

Panel/List of
Candidates

(2) The panel referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the prescribed officer or Authorized Officer referred to in sub-section (1) of section 10 in such manner as may be prescribed.

(3) After the receipt of the panel under sub-section (2), the prescribed officer or Authorized Officer shall, in the prescribed manner, intimate the Appointing Authority of the names of the selected candidates in respect of the vacancies notified under sub-section (1) of section 10.

(4) The Appointing Authority shall, within a period of thirty days from the date of receipt of such information, issue appointment letters to such selected candidates and facilitate the selected candidate to join the duties in the prescribed manner.

(5) Where such selected candidate fails to join the post of a teacher or instructor in such institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the Appointing Authority may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the Authorized Officer shall, on the request of Management, intimate in the prescribed manner, fresh name or names from the panel/list forwarded by the Commission under sub-section (2). Such time limit shall be up to a maximum of one year after the date of issuing of the appointment letter.

(6) If the Management/ Appointing Authority fails to issue appointment letter to a selected candidate on reasonable grounds (the Management/ Appointing Authority is to mention the appropriate reason) then a panel of remaining candidates from the list/panel of candidates under sub-section (1) will be made available to the Institute only once. Still, if the Management/Appointing Authority fails to issue appointment letter then the concerned post will be abolished as per the prescribed method.

CHAPTER- III

APPOINTMENT OF SELECTED TEACHERS/INSTRUCTORS

Appointments to
be made only
on the
Recommendations
of the Commission

12. Every appointment of a teacher or instructor shall be made by the Appointing Authority only on the recommendation of the Commission, and any appointment made in contravention of the provisions of this Act shall be void:

Provided that the appointment of a teacher or instructor by transfer from one institution to another or by promotion in any institution or the appointment of a teacher or instructor as a dependent of an employee dying in harness cases may be made as per the provisions given in the relevant Acts or rules or regulations.

Inquiry by Director

13. (1) Where any person, in accordance with the provisions of this Act, is entitled to be appointed as a teacher or instructor but is not so appointed by the Appointing Authority within the time provided for the same, he may appeal to the Director or any officer authorized by him for a direction under sub-section (2) of this section.

(2) As far as may be within one month from the date of receipt of an application under sub-section (1), the Director or an officer authorized by him may hold an inquiry, and if he is satisfied that the Appointing Authority has failed to appoint the applicant as a teacher or instructor as per the provisions of this Act, he may, by order, direct -

(a) the Appointing Authority to appoint the applicant as a teacher or instructor with immediate effect and to pay him salary from the date specified in the order; and

(b) the concerned Head of the Institution to take work from the applicant as a teacher or an instructor.

(3) The amount of salary, if any, due to such teacher or instructor shall, on a certificate issued by the Director or an officer authorized by him in this behalf, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue from the property belonging to or vested in the society or body running the Institution.

Mode of Adjustment
in Case of not
Joining of Duty
by Candidates
Selected by
the Commission

14. If any selected candidate recommended by the Commission in the panel/list sent under the provisions of section 11 fails to join the allowed Institution due to erroneous requisition or appointment of a dependent of an employee dying in harness or any order of the Hon'ble Supreme Court or High Court or abolition of the post, or any other reason (the Management is to mention the specific reason), the following procedure shall be adopted:-

(a) Concerned selected candidate shall submit his representation before the Director, mentioning the reasons for him not taking charge;

(b) The Director shall, after detailed enquiry on the representation submitted by the candidate, fix responsibility against the responsible Institution or Appointing Authority for sending erroneous requisition and send a report to the Commission with his recommendation for adjustment of the selected candidate;

(c) On the basis of the report and recommendation of the Director, the Commission shall adjust the selected candidate against the non-advertised requisition and shall send, or make available, as may be prescribed, the selected panel/list to the Appointing Authority after adjustment;

(d) On the basis of the panel/list sent under clause (c), the Appointing Authority shall ensure the joining of the selected candidate as per the provisions of section 11.

15. The Commission may require to furnish such information or return regarding the matters referred to in section 9 as it thinks fit, from the Authorized Officer through State Government and the Authorized Officer shall accordingly comply with the same.

Power to Call for Information and Inspect the Record, Register, etc.

16. The conditions of service of teacher or instructor can be decided as per the provisions given in the relevant Acts/ Service Rules/ Regulations/ University Statutes, as the case may be.

Conditions of Service of Teachers or Instructors

CHAPTER- IV

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

17. (1) The financial management of the Commission shall be done in accordance with the rules laid down in Financial Handbook, Volumes 1, 2, 3 and 5:

Financial Management of the Commission

Provided that the Commission may, with prior approval of the State Government, frame special regulations in respect of such matters as it may consider necessary.

(2) The expenditure of the Commission shall be incurred from the grants given by the State Government and receipts by way of fees, etc., in accordance with rules mentioned in sub-section (1) and that of the State Government, if any. A person who incurs expenditure in violation of the rules referred to in sub-section (1) or orders of the State Government, if any, shall be personally liable.

(3) The estimate of income-expenditure shall be prepared by the Controller of Finance under the supervision and direction of the Secretary, and expenditure shall be incurred according to the provisions of the budget after it is approved by the Commission.

(4) The Chairperson shall be the controlling officer with regard to himself, the Members, the Secretary, the Deputy Secretary, and the Controller of Finance and shall exercise all such financial powers as are ordinarily vested in the Head of the Department, in addition to all other financial powers delegated to the Chairperson by the Commission.

(5) (i) The Secretary shall be the Drawing and Disbursing Officer, but he may, if he considers it necessary, by an order in writing, delegate all or any of such powers to the Deputy Secretary.

(ii) The Secretary shall exercise all such powers as may be vested in the Head of an Office. In addition, the Commission may delegate such other financial powers to the Secretary as it may consider necessary.

18. The Commission shall prepare annually, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving an accurate and complete account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

Annual Reports

19. (1) The Commission shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its account, in such form and in such manner as the State Government may, by general or special order, direct.

Accounts and Audit

(2) The Commission shall, as soon as possible after closing its annual accounts, prepare a Statement of Accounts in such form and forward the same to the Accountant General by such date as the State Government may, in consultation with the Accountant General determine, for audit under section 14 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Act no. 56 of 1971).

(3) The annual accounts of the Commission, together with the audit report thereon, shall be forwarded to the State Government, and the Government shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

CHAPTER- V

MISCELLANEOUS

- Punishment for appointment of Teachers or Instructors in contravention of the provisions of Act
Protection of action taken in good faith
Prohibition of Prosecution
Certain Proceedings not invalid
Authentication of Decisions
Delegation
Transfer of Assets and Matters
Power to make rules
Power to make regulations
20. Any entity, which means Appointing Authority, Management and Institution, failing to comply with the recommendations of the Commission or which fails to comply with the order or direction of the Director under section 13, or appoints a teacher in contravention of the provisions of this Act, shall be liable to legal action.
21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act.
22. No prosecution for any offence under this Act shall be instituted without the previous sanction of the Director or such officer or authority as the State Government may, by general or special order, specify in this behalf.
23. No act or proceeding of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of:
- any vacancy in, or defect in, the constitution of the Commission; or
 - any defect or irregularity in the appointment of any person acting as a member thereof; or
 - any defect or irregularity in such act or proceeding not having any material effect.
24. All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary appointed under section 8 or any other officer authorized by the Commission.
25. The Commission may, by regulations made under section 28, confer on its Chairperson or any member or officer, the power to delegate the general superintendence of and directions in connection with the work done by or in the Commission, including the expenditure incurred for maintenance of office and the internal administration of the Commission.
26. To make the Commission function practically, the staff of the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission and the Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board will be transferred to the Commission. In the course of time, after the abolition of the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission and Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board, any matter pending before them, their assets, loans, liabilities, obligations and services of full-time employees will be transferred to the Commission.
27. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in its one session or in two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
28. (1) The Commission may, with the prior approval of the State Government, make or amend regulations prescribing fees for holding examinations, for conducting interviews, and for laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under this Act.
- (2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

29. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, by a notified order, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before both the Houses of State Legislature.

30. Regarding the selection of teachers or instructors, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything contrary to the rules, regulations, or Statutes contained in the Uttar Pradesh State University Act, 1973, Intermediate Education Act, 1921, Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, Uttar Pradesh Government Industrial Training Institutes (Instructors and Foreman Instructors) Service Rules, 2021.

Overriding Effect of the Act

31. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, the Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board Act, 1982 and the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2019 are hereby repealed.

Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the repeal of the Acts referred to in sub-section (1) shall not have an adverse effect on the general application of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) in relation to the enforcement of provisions.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Uttar Pradesh at present has various Commissions for the selection of teachers: (i) Uttar Pradesh Higher Education Service Commission for the selection of teachers of non-government aided colleges of the state; (ii) Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board for the selection of teachers of non-government aided intermediate colleges; (iii) Concerned management committee for the selection of the posts of assistant teachers in aided junior high schools and affiliated primary schools; (iv) District Basic Education Officer and Secretary, Basic Education Council for selection of assistant teachers in council schools; (v) Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission for the selection of instructors in the Department of Vocational Education.

Due to the difference in the level of efficiency related to selection by the above mentioned Commissions/Institutions the quality of selection of teachers is affected, there is no uniformity in the process of selection, timely selection of teachers is not being done, and there are several vacant posts of teachers in various institutions. This adversely affects the education/training of the students/trainees in the State. Apart from this, a lack of transparency is evident in the selection process conducted by institution-level selection committees which has resulted in litigations.

In view of the above, it was decided to make a law to establish 'Uttar Pradesh Education Service Selection Commission' to bring the work done by the aforesaid Commissions/Institutions under one Commission and to bring in uniformity, transparency and timeliness in the recruitment process of teachers by removing the above-mentioned shortcomings and selecting qualified teachers and instructors for providing quality education in the State.

The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Bill, 2023 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.